



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

दिनांक 27 फरवरी, 2025 (गुरुवार)

प्रथम पारी (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक) लेवल – प्रथम (कक्षा 1 से 5) (Ist Shift)
द्वितीय पारी (दोपहर 03.00 बजे से 05.30 बजे तक) लेवल – द्वितीय (कक्षा 6 से 8) (IInd Shift)

दिनांक 28 फरवरी 2025 (शुक्रवार)

तृतीय पारी (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक) लेवल – द्वितीय (कक्षा 6 से 8) (IIIrd Shift)

परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घण्टा पूर्व तक ही परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाएंगी।

विशेष :— परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के उपरान्त इस बात की जांच के लिए कि ओ.एम.आर. आंसर शीट के समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प (गोला) भर दिया गया है, निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट की सुरक्षा व्यवस्था

(अ) जिला मुख्यालय के परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ. एम. आर. शीट के बॉक्स जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नोडल अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा प्राप्त कर दिनांकवार, पारीवार एवं केन्द्रवार जिला कोषागार के स्ट्रॉग रूम में रखे जाएंगे। इस सम्पूर्ण कार्य की वीडियोग्राफी पुलिस सुरक्षा में सटीक एवं निकटता से होगी। जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा दिनांक 27. 02.2025 एवं 28.02.2025 को प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट के बॉक्स का वितरण पेपर कॉर्डिनेटर्स को किया जाएंगा जो कि जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा निर्देशानुसार नियुक्त किये जाएंगे।

(ब) एक बार कोषागार में प्रश्न पत्र बॉक्स एवं ओ. एम. आर. सुरक्षित रूप से रख देने के बाद उस स्थान को दो अधिकारियों (नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी) के द्वारा डबल लॉक लगाकर सील किया जाएगा जिसकी चाबी दोनों अधिकारियों के पास पृथक्—पृथक् रहेगी। जहां डबल लॉक की व्यवस्था नहीं हो वहां पर दो पृथक्—पृथक् ताले लगाकर दो पृथक्—पृथक् अधिकारियों (नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी) द्वारा सील किया जाएगा तथा इनकी चाबी दोनों अधिकारियों के पास पृथक्—पृथक् रहेगी। इस स्थान (कोषागार) को प्रश्न पत्र वितरण के समय दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में ही खोला जावें। प्रश्न पत्र वितरण के उपरान्त प्रत्येक पारी के बाद पुनः उक्त दोनों अधिकारियों के द्वारा दोनों ताले लगाकर सील किये जावें।

(स) जिले में प्रश्न—पत्र एवं ओ.एम.आर. बॉक्स पहुँचने के बाद इनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परीक्षा संलाचन समिति की होगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

प्रश्न—पत्र वितरण समय सारणी (दिनांक 27.02.2025 एवं 28.02.2025)

क्र.सं.		प्रथम पारी	द्वितीय पारी
1	कोषागार खुलने का समय	प्रातः 06:00 बजे पश्चात	प्रातः 11:00 बजे पश्चात
2	प्रश्न—पत्र एवं ओ.एम.आर का वितरण	जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तय की गई आयोजना अनुसार	
3	प्रश्न—पत्र / ओ.एम.आर. बॉक्स परीक्षा केन्द्रों पर पहुँच	प्रातः 09:00 बजे तक	अपराह्न 02:00 बजे तक
4	प्रश्न—पत्र के बॉक्स केन्द्राधीक्षक द्वारा खोलना	प्रातः 09:30 बजे	अपराह्न 02:30 बजे
5	प्रश्न—पत्र / ओ.एम.आर. परीक्षा कक्षों में पहुंचाना	प्रातः 09:40 बजे	अपराह्न 02:40 बजे
6	प्रश्न—पत्र पुस्तिका एवं ओएमआर परीक्षार्थियों को वितरण, निर्देश पठन व ओएमआर पर प्रविष्टियां अंकन	प्रातः 09:50 बजे	अपराह्न 02:50 बजे
7	परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र खोलना एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका पर प्रविष्टि करना	प्रातः 09.55 बजे	अपराह्न 02.55 बजे
8	परीक्षा कार्यारम्भ	प्रातः 10.00 बजे	अपराह्न 03.00 बजे
9	परीक्षा समाप्ति	दोहपर 12.30 बजे	सायं 5.30 बजे



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

केन्द्रों पर नियुक्तियां

- ❖ राजकीय परीक्षा केन्द्र का केन्द्राधीक्षक उस महाविद्यालय/विद्यालय का प्राचार्य/शाला प्रधान हो सकता है। अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति अन्य सरकारी विद्यालय से की जाएगी। यदि परीक्षा केन्द्र निजी शिक्षण संस्थान है तो केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक आदि समस्त स्टॉफ अन्य सरकारी विद्यालय से नियुक्त किया जाएगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी राजकीय कार्मिक होंगे।
- ❖ परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र पर्यवेक्षक/केन्द्राधीक्षक/अति केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/अन्य कोई भी अधिकारी/कार्मिक जिनके निकटतम सम्बन्धी यथा स्वयं के पुत्र/पुत्री, भाई/बहिन, पति/पत्नी पुत्रवधु आदि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024 की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, उन्हें उस परीक्षा केन्द्र पर नहीं लगाया जाएगा।
- ❖ प्रत्येक केन्द्र पर एक केन्द्राधीक्षक एवं एक अति. केन्द्राधीक्षक होगा। 500 तक पंजीकृत परीक्षार्थियों पर एक अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक तथा 500 से अधिक होने पर एक और अतिरिक्त सहित अधिकतम कुल दो अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक नियुक्त किये जा सकेंगे ताकि प्रश्न—पत्र पुस्तिका—ओ.एम.आर. शीट्स के वितरण का कार्य यथासमय पूर्ण हो सके।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

- ❖ प्रत्येक 04 परीक्षा कक्षों पर एक सुपरवाईजर कम आन्तरिक फ्लाइंग की नियुक्ति की जाएगी। सुपरवाईजर कम आन्तरिक फ्लाइंग द्वारा वीक्षकों तक परीक्षा सामग्री पहुँचाना, परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा सामग्री एकत्र करना, वीक्षकों की सहायता करना तथा आन्तरिक फ्लाइंग के रूप में कार्य किये जाएंगे।
- ❖ फील्ड सुपरवाईजर :— प्रत्येक केन्द्र पर एक फील्ड सुपरवाईजर की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी सहायतार्थ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नियुक्त किया जाएगा। फील्ड सुपरवाईजर के निम्नांकित कार्य होंगे :—
 - ✓ परीक्षा केन्द्र पर आने वाले अधिकारियों/कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश देना।
 - ✓ आगन्तुक रजिस्टर संधारित करना, परीक्षा कक्ष के अलावा अन्य स्थानों की जांच करना तथा परिसर में परीक्षा संबंधी अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना।
 - ✓ परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व अर्थात् प्रथम पारी में प्रातः 09:00 बजे तथा द्वितीय पारी में अपराह्न 02:00 बजे मुख्य द्वार बन्द करवाना।

नोट :—परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ताला नहीं लगाया जाना है। यहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हर वक्त मुस्तैद रहे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

(ल) केन्द्राधीक्षक द्वारा अपने केन्द्र पर नियुक्त किये जाने वाले वीक्षकों की एक सूची तैयार की जाए। वीक्षकों की कमरों में ऊँटी केन्द्राधीक्षक तथा केन्द्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में लॉटरी पद्धति से लगाई जाए। यह कार्य परीक्षा दिवस को ही, परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही यथासमय पूर्ण कर लिया जाए ताकि परीक्षा प्रारम्भ होने में विलम्ब नहीं हो। इस कार्यवाही का लिखित विवरण कार्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए। सभी नियुक्तियों का विवरण प्रपत्र सं 05 में भिजवाएं।

(व) सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में ही भिजवाएं। यदि संलग्न प्रपत्र कम हों तो आवश्यकतानुसार पूर्व में ही फोटो प्रति करा लेवें।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

एरिया अधिकारी, जोनल अधिकारी, केन्द्रपर्यवेक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर एवं फ्लाइंग कम ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर की नियुक्तियां :-

जिला परीक्षा संचालन समिति (जिला कलक्टर/नोडल अधिकारी) द्वारा निम्नानुसार उक्त नियुक्तियां की जानी हैं:-

अ. प्रत्येक 10 केन्द्रों पर एक एरिया अधिकारी— अपने कार्याधीन केन्द्रों का दिनांक 26.02.2025 को निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शुचिता से सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

ब. प्रत्येक 05 क्रेन्ड्रों पर 01 जोनल अधिकारी— अपने कार्याधीन केन्द्रों का दिनांक 26.02.2025 को निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शुचिता से सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

स. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक पेपर कॉर्डिनेटर — इनके द्वारा कोषागार से प्रश्न पत्र बॉक्स प्राप्त कर सम्बन्धित केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को सम्भलवाना है। समस्त सामग्री बंद सुरक्षित वाहन में ले जानी है। इनको एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पेपर कॉर्डिनेटर प्रत्येक परीक्षा पारी के पश्चात् ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर द्वारा ले जाई गई सामग्री के अतिरिक्त शेष सामग्री यथा अप्रयुक्त प्रश्न—पत्र एवं ओ.एम.आर., प्रयुक्त प्रश्न—पत्र के बॉक्स/थैले संग्रहण केन्द्र में जमा करवाएंगे। यह कार्यवाही इसलिए वांछनीय हैं क्योंकि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा पश्चात् प्रश्न—पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी सिर्फ ओ.एम.आर. की द्वितीय प्रति ही ले जा सकेगा।

द. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक केन्द्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति — प्रत्येक केन्द्र हेतु नोडल अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी को केन्द्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये केन्द्र पर समस्त व्यवस्था का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेंगे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

य. प्रत्येक तीन केन्द्रों के निरीक्षण हेतु एक फ्लाइंग कम ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर— ये राजपत्रित अधिकारी होंगे। इनके द्वारा आवंटित तीन केन्द्रों का प्रत्येक पारी में कम से कम दो बार सघन निरीक्षण किया जाएगा तथा प्रत्येक पारी में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् इन तीन केन्द्रों से प्रयुक्त ओ.एम.आर. (लिफाफा सं. B), उपस्थिति पत्रक (लिफाफा सं. D), विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (लिफाफा सं. E), डुप्लीकेट प्रवेश पत्र एवं स्व प्रमाणित पहचान पत्र प्राप्त कर निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाये जाने हैं। इनके साथ भी एक वीडियोग्राफर एवं एक सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

नोट:- जिला परीक्षा संचालन समिति आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों के विशेष उड़नदस्तों का गठन कर सकेगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

वीक्षकों की नियुक्ति एवं निर्देश :—

अन्य समस्त कार्मिकों की भाँति केन्द्रवार वीक्षकों की नियुक्ति रेण्डमाईजेशन से जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा की जाएगी।

(अ) प्रत्येक कक्ष में न्यूनतम 02 वीक्षक नियुक्त किये जाने आवश्यक हैं। अधिकतम 48 परीक्षार्थियों तक 02 वीक्षक ही नियुक्त रहेंगे। एक परीक्षा कक्ष में 48 परीक्षार्थियों से अधिक होने पर 24 के प्रत्येक गुणक पर एक अतिरिक्त वीक्षक नियुक्त किया जाए।

(ब) केन्द्राधीक्षक परीक्षा से एक दिन पूर्व वीक्षकों के लिए एक बैठक आयोजित कर प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स के वितरण, उनको एकत्रित करने तथा उन्हें परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करें। इस बैठक में उपस्थिति एवं घोषणा पत्र के लिए प्रपत्र सं.-01 भरवाया जाए।

(स) वीक्षकगण (Invigilators), आन्तरिक उड़नदस्ते व अन्य कार्मिक परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से दो घण्टे पूर्व आवश्यक रूप से केन्द्राधीक्षक को अपनी उपस्थिति देंगे। समय का विशेष ध्यान रखा जाए।

(द) केन्द्राधीक्षक, अति. केन्द्राधीक्षक, केन्द्रपर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि वीक्षकों या किसी भी अन्य कार्मिक के पास परीक्षा केन्द्र में मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए। केवल केन्द्राधीक्षक ही की-पेड वाला मोबाइल रख सकते हैं।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

- (य) यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा ओ. एम. आर. शीट खाली छोड़ी जाती है तो सम्बन्धित वीक्षक ओ.एम.आर. शीट पर इस तथ्य का स्पष्ट अंकन करेंगे।
- (र) वीक्षकों को निर्देशित किया जावे कि वे परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व की जाने वाली घोषणाएं (प्रपत्र –17) अवश्य करें।
- (ल) वीक्षकों, फील्ड सुपरवाईजर को अलग से निर्देशों की प्रति REET-24/प्रपत्र— 17 उनके अध्ययन हेतु दी जाए। इस पर उनके हस्ताक्षर सहित परीक्षा उपरान्त प्राप्त कर केन्द्र पर सुरक्षित रखें।

रीट परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश हेतु अधिकृत अधिकारियों/ कार्मिकों हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र की व्यवस्था:-

परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए REET 2024 हेतु परीक्षा कार्य से संबंधित समस्त राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों तथा केन्द्र में प्रवेश करने वाले अन्य नियुक्त व्यक्तियों को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। फोटो पहचान पत्र संबंधित जिले के नोडल अधिकारी (ADM) जारी करेंगे। इस कार्य को नोडल अधिकारी जिले के वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारियों के सहयोग से सावधानीपूर्वक करेंगे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

नामांक सूची (Roll Lists) उपस्थिति पत्रक :—

- (अ) प्रत्येक परीक्षार्थी को एक निश्चित सीट आवंटित की जाए और उसकी डैस्क/टेबल पर उसका नामांक (Roll No.) अंकित हो। प्रत्येक परीक्षार्थी की 20 वर्ग फीट स्थान के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाए। एक सामान्य कक्ष में 24 परीक्षार्थी बैठाये जावें।
- (ब) प्रत्येक केन्द्र पर एक नामांक सूची (Roll List) भेजी गयी है। इस सूची को बैठक व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाए।
- (स) परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक पर परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर तथा वीक्षक का प्रमाणन करवाकर परीक्षा समाप्ति पश्चात् अन्य सामग्री के साथ ओएमआर कॉर्डिनेटर को जमा करवाने हैं।
- (द) परीक्षा कक्ष में ही पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं। इस हेतु परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति न दें। परीक्षार्थी को पानी की बॉटल लाने की अनुमति नहीं होगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों का प्रवेश :—

- (अ) वीक्षक परीक्षा भवन/कक्ष में प्रत्येक परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, फोटो तथा हस्ताक्षर मिलान कर यह सुनिश्चित करें कि सही व्यक्ति ही परीक्षा दे रहा है। साथ ही एक मान्य फोटोयुक्त पहचान—पत्र (यथा आधार कार्ड) से भी पहचान सुनिश्चित की जाए।
- (ब) परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दो प्रतियों में उपलब्ध करवाया गया है। परीक्षार्थी से प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति तथा उसके साथ लायी गयी मान्य फोटो पहचान पत्र (यथा आधार कार्ड) की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त करें तथा उन्हें क्रमवार जमा कर पिन—अप करके परीक्षा समाप्ति पश्चात् उसका एक पैकेट बना कर उस पर “परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र” लिख कर अन्य सामग्री के साथ संग्रहण केन्द्र को भेजें।
- (स) परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घण्टा पूर्व तक ही परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार प्रथम पारी में प्रातः 09:00 बजे एवं द्वितीय पारी में दोपहर 2.00 बजे बन्द कर दिया जाए। परीक्षा केन्द्र पर ताला नहीं लगाया जावे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

केन्द्र पर परीक्षा सामग्री की प्राप्ति :—

(अ) पेपर कॉर्डिनेटर से परीक्षा सामग्री प्राप्त होने पर केन्द्राधीक्षक सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि:-

प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट्स सीलबंद बॉक्स में हैं। इसके अन्दर प्रत्येक पैकेट में 12 प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं 12 OMR शीट्स (1 OMR शीट में 1 मूल प्रति व 1 अभ्यर्थी प्रति) होगी। सीलबंद बॉक्स पर दो ताले लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों ताले बन्द हों।

संबन्धित बॉक्स पर अंकित परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या, पारी एवं लेवल आपके केन्द्र की ही हो।

प्राप्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स की कुल संख्या आपके केन्द्र को आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या से कम न हो।

प्रत्येक प्रश्न पत्र पॉली पैक में है तथा इस पॉली पैक को वीक्षक द्वारा नहीं खोला जाएगा। निर्धारित समय पर परीक्षार्थी द्वारा ही प्रश्न—पत्र के पॉली पैक को खोला जाएगा। वीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रों का उसी पारी एवं उसी केन्द्र का होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. की बॉक्स पर परीक्षा की दिनांक, पारी एवं लेवल अंकन अवश्य गहनता के साथ देख लेवें, क्योंकि इस बार परीक्षा एक से अधिक दिनों में सम्पन्न होगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

(ब) प्रश्न पत्र बॉक्स के सील बन्द होने तथा ताले लगे होने की निकटता से सटीक वीडियोग्राफी करवायी जावे एवं यह सुनिश्चित होने के बाद ही बॉक्स खोला जाए। प्रश्न—पत्र बॉक्स अथवा उसके अन्दर रखी गयी सामग्री की पैकिंग में कोई सारभूत कमी अथवा त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो तत्काल इसकी सूचना अति समन्वयक रीट को मोबाईल न. 9982830200 पर दी जाए। ऐसे पैकेट को उसी अवस्था में अन्य लिफाफे में सील कर एवं सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर सुरक्षित अलमारी (Safe custody) में ताला लगाकर रख दिया जाए।

(स) केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा सामग्री प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद प्रपत्र सं.-03 में मोहर सहित हस्ताक्षर कर अन्य प्रपत्रों के साथ लिफाफा सं. E में रखकर ओ. एम. आर. कॉर्डिनेटर को सम्भलवाएंगे।

:: व्यवस्था एवं अनुशासन ::

(अ) परीक्षा केन्द्र पर ऊँटी पर परीक्षा से संबन्धित व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाए।

(ब) परीक्षा भवन में धूम्रपान/मादक पदार्थ/मादक द्रव्य, गुटखा आदि का सेवन करना/रखना पूर्णरूपेण वर्जित है।

(स) केन्द्राधीक्षक ही परीक्षा के दौरान व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

(द) गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश :-

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश—पत्र, नीला / काला बॉल पॉईंट पेन, कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान—पत्र मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान—पत्र(यथा ड्राइविंग लाईसेंस, निर्वाचन पहचान—पत्र आदि) मय स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल, केलक्यूलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि, किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैण्डबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केन्द्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टा पूर्व पहुँचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फ़िस्किंग आदि समय से की जा सके।
4. परीक्षार्थी को परीक्षा समय से एक घंटा पूर्व केन्द्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रातः 09:00 बजे तथा अपराह्न पारी में अपराह्न 02:00 बजे के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी।
5. परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

6. परीक्षार्थी प्रवेश—पत्र की कार्यालय प्रति (OFFICE COPY) वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, स्वप्रमाणित पहचान—पत्र की प्रति नथी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं।
7. परीक्षार्थी को प्रश्न—पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न—पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी ओ.एम.आर. की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओ.एम.आर. की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेंगे।
8. परीक्षार्थी को शर्ट/टी—शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल/सेंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चैन,बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा।
9. परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
10. प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओ.एम.आर. आंसर शीट जॉच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प (गोला) भर दिया गया है। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
11. नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा। श्रुतलेखक हेतु परीक्षार्थी को दो दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक से सम्पर्क करना होगा। विस्तृत निर्देश हेतु www.rajeduboard.rajasthan.in/REET-2024



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश हेतु, अधिकृत अधिकारियों/कार्मिकों के सम्बन्ध में :—

1. परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने से समाप्ति तक किसी भी अधिकारी अथवा कार्मिक परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने एवं बाहर से किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। केवल पेपर कॉर्डिनेटर, OMR कॉर्डिनेटर वीडियोग्राफर, सुरक्षा गार्ड, उड़नदस्ते के सदस्यों तथा जिला स्तरीय अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने का अधिकार होगा। इसके साथ ही फील्ड सुपरवाईजर का यह भी दायित्व होगा कि कैम्पस में किसी भी स्थान/कमरों में परीक्षा से सबंधित कोई भी अनुचित गतिविधियां नहीं होने दें।
2. केन्द्राधीक्षक/केन्द्र पर्यवेक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे। अधिकृत व्यक्तियों को केवल पहचान पत्र के आधार पर ही केन्द्र में प्रवेश होने दिया जाए तथा इस हेतु प्रारूप (प्रपत्र-16) में रिकार्ड रखा जाएगा।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा सामग्री के बॉक्स का खोला जाना :-

- (अ) लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के पैकेट रैपरयुक्त सील्ड लिफाफों में पैक किए गए हैं। लेवल-1 की पुस्तिकाओं के पैकेट के रैपर पर PL1-Shift-1 मुद्रित होगा। इसी प्रकार लेवल II की पुस्तिकाओं के पैकेट के रैपर पर क्रमशः RL2-Shift-2, RL2-Shift-3 मुद्रित होगा।
- (ब) लिफाफे खोलने से पूर्व उस पर निर्धारित स्थान पर केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक और निर्धारित संख्या में वीक्षक के हस्ताक्षर करने के बाद ही प्रश्न पत्र के लिफाफे वीक्षक को सुपुर्द किए जाएं। यही प्रक्रिया प्रत्येक पारी में अपनायी जानी है। इस समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जानी है। इसकी रिकॉर्डिंग रीट कार्यालय को भिजवायी जानी है। कुल प्राप्त होने वाली प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं का इन्द्राज REET-2024 / प्रपत्र-6A व 6B में किया जाकर इसमें सभी संबंधितों के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित किये जाएं।
- (स) ओ.एम.आर. शीट के पैकेटों को भी पूर्ण सावधानी से खोला जाकर उनकी गणना कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ये वांछित संख्या में पायी गयी हैं। इनका इन्द्राज प्रपत्र सं. 6A में किया जाए। यदि प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं अथवा ओ.एम.आर. शीट की गणना में कोई कमी/अधिकता पायी जाती है तो इस हेतु अति. समन्वयक (गोपनीय), (मोबाइल नं. 9982830200) राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024 को तत्काल सूचित करें।
- (द) प्रश्न—पत्र बॉक्स खोलने व हस्ताक्षर बाद तुरन्त वीक्षकों को उनके कक्ष से संबंधित प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ तथा ओ.एम.आर. शीट के पैकेट परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर सौंपी जाए व इसकी प्राप्ति प्रपत्र संख्या 6B में ली जाए।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा व्यवस्थाओं का समय :-	पारी-I	पारी-II
1. परीक्षा केन्द्र खुलने का समय	08.00 A.M.	1.00 P.M.
2. परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में प्रवेश (लम्बी घण्टी)	09.00 A.M.	2.00 P.M.
3. प्रश्न पत्र एवं ओएमआर बॉक्स खोलना	09-30 A.M	2.30 P.M.
4. ओ.एम.आर. शीट्स एवं प्रश्न पुस्तिकाओं का वितरण (एक घण्टी)	09.50 A.M.	2.50 P.M.
5. परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिकाओं की सील खोलना (दो घण्टियाँ)	09.55 A.M.	2.55 P.M.
6. परीक्षा कार्यालय	10.00 A.M.	3.00 P.M.
7. पॉच मिनट शेष रहने की चेतावनी घण्टी(परीक्षा कक्ष में सतर्कता)	12.25 P.M.	5.25 P.M.
8. आखिरी लम्बी घण्टी (परीक्षा समाप्त)	12.40 P.M.	5.40 P.M.

ओ.एम.आर. शीट्स	पैकिंग व्यवस्था
1. केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रयुक्त (परीक्षार्थियों द्वारा काम में ली गई) ओ.एम.आर शीट्स के 200–200 के बण्डल तैयार करवाए जाएं।	ओ.एम.आर. शीट के 200–200 के बण्डल प्लास्टिक के सैल्फ ऐडहेसिव लिफाफे में जिस पर 'B' अंकित होगा, चिपकाकर पैक करें। लिफाफे पर केन्द्राधीक्षक व अति. केन्द्राधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर हों।
2. अनुपस्थित परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर. शीट्स एवं प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट बाद परीक्षार्थी की सीट से एकत्र करवा ली जाएं।	सैल्फ ऐडहेसिव लिफाफा, जिस पर C-1 अंकित होगा, में चिपकाकर पैक करें। लिफाफे पर वीक्षक के हस्ताक्षर हों तथा यह केन्द्राधीक्षक को तत्काल भेज दिया जाएगा।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाली सामग्री का विवरण एवं पैकिंग व्यवस्था :—

क्र.सं.	लिफाफा संख्या	रखी जाने वाली सामग्री का विवरण	विशेष विवरण	सील्ड अथवा अनसील्ड
1.	A	परीक्षा कक्षों से कक्षवार प्रयुक्त (Used) OMR शीट	यह लिफाफा प्रत्येक कक्ष से वीक्षक द्वारा OMR शीट नामांक वार संकलित कर केन्द्राधीक्षक को संभलवायी जाएगी। लिफाफे पर वीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।	अनसील्ड
2.	B	परीक्षा कक्षों से प्राप्त सभी प्रयुक्त (Used) OMR शीट के पैकेट बनाकर सील कर संग्रहण केन्द्र पर भिजवाये जाएंगे। (एक लिफाफे में) लगभग 200 OMR शीट्स रखी जाएंगी अतः केन्द्र पर छात्र संख्या अनुरूप लिफाफे प्रयुक्त होंगे।	केन्द्राधीक्षक एवं अति. केन्द्राधीक्षक द्वारा केन्द्र पर प्रविष्ट सभी परीक्षार्थियों की OMR शीट्स नामांकवार जमा कर, लिफाफे में रख कर केन्द्र पर्यवेक्षक के समक्ष सील की जाएंगी। लिफाफे पर केन्द्राधीक्षक एवं अति. केन्द्राधीक्षक दोनों के हस्ताक्षर होंगे। यह लिफाफा केन्द्राधीक्षक द्वारा लिफाफा व व प्रपत्र 10 के साथ प्लास्टिक के बैग (जो प्रश्न पत्र पेटिका में उपलब्ध करवाया गया है) में रखकर सूतली से सिलाई करवाकर फ्लाइंग कम OMR कॉर्डिनेटर को संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाने हेतु प्रत्येक पारी की समाप्ति पश्चात् संभलवाया जाएगा।	सील्ड
3.	C 1	कक्षवार अप्रयुक्त (Unused) प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं अप्रयुक्त (Unused) OMR शीट के लिए।	परीक्षा कक्ष से परीक्षा आरम्भ के 10 मिनट बाद अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं अप्रयुक्त OMR शीट को C1 लिफाफे में रखकर वीक्षक द्वारा वीक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर सील पश्चात केन्द्राधीक्षक को संभलवाया जाएगा। केन्द्र के समस्त C1 के लिफाफे प्रश्न पत्र के रिक्त बॉक्स में रखे जाएंगे।	सील्ड



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	लिफाफा संख्या	रखी जाने वाली सामग्री का विवरण	विशेष विवरण	सील्ड अथवा अनसील्ड
4.	C 2	कक्षावार प्रयुक्त (Used) प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के लिए।	परीक्षा कक्ष से परीक्षा समाप्ति पश्चात् वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों से प्रयुक्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं संकलित कर इस लिफाफे में रखकर वीक्षक के हस्ताक्षर बाद सील केन्द्राधीक्षक को संभलवाया जाएगा।	सील्ड

नोट :—केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक पारी के पश्चात् प्रश्न पत्र बॉक्स में C 1 व C 2 के लिफाफे रखने के बाद उसे ताला लगाकर बंद कर पेपर कॉर्डिनेटर को संभलवाया जावे। अर्थात् दिनांक 27.02.2025 को द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र लेकर आने के बाद प्रथम पारी के C 1 व C 2 के लिफाफे तथा दिनांक 27.02.2025 को द्वितीय पारी पश्चात् एवं 28.02.2025 को तृतीय पारी के पश्चात् C 1 व C 2 के लिफाफे पेपर कॉर्डिनेटर को संभलवाया जाए। पेपर कॉर्डिनेटर द्वारा यह बॉक्स संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाया जाएगा।

5.	D	परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheets), अनुपस्थित परीक्षार्थियों की उपलब्ध कराई गई एबसेन्टी ओएमआर शीट (Absentee OMR)	परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheets), उपलब्ध कराई गई एबसेन्टी OMR शीट (Absentee OMR) केन्द्राधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की उपस्थिति में एवं उनके हस्ताक्षरों से सील किया जाएगा। यह लिफाफा केन्द्राधीक्षक द्वारा लिफाफा B व प्रपत्र 10 के साथ प्लास्टिक के बैग (जो प्रश्न पत्र पेटिका में उपलब्ध करवाया गया है) में रखकर सूतली से सिलाई करवाकर फ्लाइंग कम OMR कॉर्डिनेटर को दिया जाएगा।	सील्ड
----	---	---	---	-------

नोट:- केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक पारी की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् लिफाफा संख्या B,D (Sealed) व प्रपत्र 10 केन्द्र पर प्रश्न पत्र बॉक्स में भिजवाए गये प्लास्टिक के बैग में रखकर ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर को संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाने हेतु संभलवाया जाएगा जो जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा प्रतिदिन पूर्ण सुरक्षा के साथ रीट कार्यालय में पहुँचाये जाएंगे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	लिफाफा संख्या	रखी जाने वाली सामग्री का विवरण	विशेष विवरण	सील अथवा अनसील
1.	E	रीट कार्यालय से भेजे गये विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (प्रपत्र संख्या 1,2,3,6A,6B,7, 8,9,11,12,16,17,21,23, 24 व 27)	कार्यालय से भेजे विभिन्न उल्लेखित प्रपत्र शिफ्ट/पारी वार सावधानी पूर्वक भरकर, प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर संबंधितों से हस्ताक्षर करवाकर इस लिफाफे को परीक्षा सामग्री के साथ उपलब्ध करवाये गये प्लास्टिक के बैग में रखकर सूतली से सिलाई करवाकर केन्द्राधीक्षक एवं फ्लाइंग कम OMR कॉर्डिनेटर द्वारा उस केन्द्र की अन्तिम पारी की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् (दिनांक 27.02.2025 / 28.02.2025) को संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाएंगे।	सील (गोंद अथवा टेप से)
2.	F	रीट कार्यालय से भेजे गये लेखा शाखा के विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (प्रपत्र संख्या 4, 5, 13, 14, 15, 25 व 26)	कार्यालय से भेजे विभिन्न प्रपत्र में लेखा शाखा से संबंधित उल्लेखित प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरकर निर्धारित स्थान पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर केन्द्राधीक्षक द्वारा उस केन्द्र की सभी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद परीक्षा सामग्री के साथ उपलब्ध करवाये गये प्लास्टिक के बैग में रखकर सूतली से सिलाई करवाकर केन्द्राधीक्षक एवं फ्लाइंग कम OMR कॉर्डिनेटर संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाएंगे। (प्रेषण दिवस 28.02.2025 तृतीय पारी पश्चात्)	सील (गोंद अथवा टेप से)
3.	G	तीनों पारियों की परीक्षा समाप्ति उपरान्त प्रश्न पत्र बॉक्स में निर्धारित सामग्री रखकर बॉक्स को ताला लगाकर ताले की चाबियों रखने हेतु।	तीनों पारियों की परीक्षाएं समाप्त होने के उपरान्त प्रश्न पत्र के सभी बॉक्स की सभी चाबियों लिफाफे में रखकर सील करके प्लास्टिक के बैग में रखकर सूतली से सिलाई करवाकर पेपर कॉर्डिनेटर को तृतीय पारी के बाद संग्रहण केन्द्र पर जमा कराने हेतु संभलवाएंगे। (प्रेषण दिवस 28.02.2025 तृतीय पारी पश्चात्)	लिफाफा



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	लिफाफा संख्या	रखी जाने वाली सामग्री का विवरण	विशेष विवरण	सील्ड अथवा अनसील्ड
4.		परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराये प्रवेश पत्र व आई.डी प्रूफ पारी वार मिजवाने हेतु।	<p>अ. समस्त परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराये प्रवेश पत्र व आई.डी प्रूफ किसी कपड़े अथवा किसी लिफाफे में सूतली से बांधकर प्रपत्र 22 चिपकाकर पारी वार प्लास्टिक बैग में रखकर फ्लाइंग कम OMR कॉर्डिनेटर को प्रत्येक पारी के बाद संभलवाएंगे।</p> <p>ब. लफाफा संख्या E, F व G अंतिम परीक्षा पारी पश्चात् प्लास्टिक बैग में रखे जाएंगे। इस बैग पर केन्द्र संख्या व पारी संख्या मार्कर पेन से अंकन कर केन्द्राधीक्षक एवं OMR कॉर्डिनेटर संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाएंगे तथा दिनांक 28.02.2025 को तृतीय पारी पश्चात् संग्रहण केन्द्र से रीट कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।</p>	प्लास्टिक बैग (कट्टा)



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	अधिकारीगण/ कार्मिकगण	प्रमुख दायित्व
1.	जिला परीक्षा संचालन समिति तथा नोडल अधिकारी के दायित्व	<ul style="list-style-type: none"> जिले में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार समुचित परीक्षा केन्द्र उपलब्ध करवाते हुए REET परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करवाना। समस्त प्रकार के उपापन करना। समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर फोटो पहचान पत्र जारी करना। परीक्षा पूर्व समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना। प्रश्न-पत्रों तथा ओ.एम.आर. बॉक्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। परीक्षा उपरान्त ओ.एम.आर. शीट्स द्वितीय एवं तृतीय पारी के बाद सुरक्षित रीट कार्यालय भिजवाने की व्यवस्था करना। कोषागार एवं संग्रहण केन्द्र के प्रभारी वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति करना। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना। प्रत्येक 5 परीक्षा केन्द्रों पर एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति करना तथा प्रत्येक 10 परीक्षा केन्द्रों पर एक एरिया अधिकारी की नियुक्ति करना। परीक्षा केन्द्रों का गहन निरीक्षण जोनल/एरिया अधिकारी एवं सह-सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा यथेष्ठ समय पूर्व ही कर लिया जाए। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दिन 2-2 पुरुष एवं महिला पुलिस बल एवं 2-2 होमगार्ड्स की नियुक्ति करवाना। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेकर परीक्षा सम्बन्धित व्यवस्थाएं करना। कोषागार पर सशस्त्र सुरक्षा बल की "Round the clock" नियुक्ति करना तथा स्ट्रांग रूम से परीक्षा केन्द्रों तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रश्न-पत्र पुस्तिका/ओ.एम.आर. शीट्स के बॉक्स का वितरण करवाना। कोषागार के वितरण केन्द्र/स्ट्रॉग रूम को परीक्षा दिवस पर जिला परीक्षा संचालन समिति के निर्णयानुसार उचित समय पर खुलवाया जाना सुनिश्चित करना।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	अधिकारीगण / कार्मिकगण	प्रमुख दायित्व
		<ul style="list-style-type: none"> कोषागार को ही प्रश्न पत्र रखे जाने हेतु स्ट्रांग रूम बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन जिलों में जहां स्ट्रांग रूम बनाने हेतु ट्रेजरी में स्थान का अभाव है, उनमें जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा सुरक्षित व उपयुक्त राजकीय भवन को ट्रेजरी घोषित करवाकर स्ट्रांग रूम बनाया जावे। राजकीय भवन को कोषागार घोषित करवाते हुए आवश्यक व्यवस्था करें। दिनांक 27.02.2025 तथा 28.02.2025 को प्रश्न—पत्र वितरण के समय निर्बाध व नजदीकी से वीडियोग्राफी करवाना। दिनांक 26.02.2025 को प्रातः 06.00 बजे से 28.02.2025 को जिले से परीक्षा सामग्री अजमेर कार्यालय के लिए रवाना होने तक कण्ट्रोल रूम स्थापित करना। सभी परीक्षा केन्द्रों पर समस्त स्टॉफ (अधिकारी / कर्मचारी) राजकीय सेवारत कार्मिक ही नियुक्त होंगे व रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया से परीक्षा केन्द्रों पर तैनात किये जाएं। सभी परीक्षा केन्द्रों / कोषागार / संग्रहण केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा परीक्षा से एक दिवस पूर्व लगवाया जाना सुनिश्चित करें। सी.सी.टी.वी. के लाईव प्रसारण का लिंक पुलिस अभय कमाण्ड केन्द्र पर सी.सी.टी.वी. प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रश्न पत्र व परीक्षा सामग्री लाने ले जाने वाले वाहनों पर जी.पी.एस. लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाएंगे। इनके द्वारा प्रत्येक केन्द्र में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन फ़िर्सिंग की जाएगी। मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसकी सुनिश्चितता पुलिस द्वारा की जाएगी। परीक्षा प्रश्न पत्रों के संग्रहण, परिवहन, वितरण आदि सभी महत्वपूर्ण चरणों की वीडियोग्राफी करवायी जाए। वीडियोग्राफर एवं सीसीटीवी तकनीशियन वाहन चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन करवाया जाए। जिला कोषागार में प्रश्न—पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स के बॉक्स प्राप्त होने पर दिनांकवार एवं लेवलवार एवं पारीवार जमाने की व्यवस्था की जाए ताकि परीक्षा दिवस को इनकी वितरण व्यवस्था समय पर एवं सुव्यवस्थित तरीके से हो सके।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	अधिकारीगण / कार्मिकगण	प्रमुख दायित्व
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय	<ul style="list-style-type: none"> जिला परीक्षा संचालन समिति की समय—समय पर मीटिंग आयोजित करवाना तथा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना। परीक्षा संचालन समिति के निर्देशानुसार जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना। परीक्षा केन्द्र पर राजकीय शैक्षणिक संस्था के समस्त राजकीय स्टॉफ की नियुक्ति सुनिश्चित करवाना। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय के कार्यालय पर कण्ट्रोल-रूम की स्थापना करवाना। दिनांक 25. 02.2025 की प्रातः 06.00 बजे से 28.02.2025 को जिले से परीक्षा सामग्री अजमेर रीट कार्यालय के लिए रवाना होने तक कण्ट्रोल रूम स्थापित करना।
3.	केन्द्राधीक्षक व अति. केन्द्राधीक्षक	<ul style="list-style-type: none"> परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स के बॉक्स प्राप्त होने पर केन्द्राधीक्षक बॉक्स पर अंकित केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पारी (Shift) से मिलान कर सुनिश्चित होवें कि प्राप्त बॉक्स उसके केन्द्र एवं परीक्षा पारी अनुसार है। केन्द्राधीक्षक, केन्द्र पर्यवेक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि प्राप्त बॉक्स पर लगे दोनों ताले पूर्णतया बन्द एवं बॉक्स सील्ड है। इसके पश्चात् उक्त बॉक्स को केन्द्राधीक्षक अपने कक्ष में सुरक्षित स्थान पर रखवाएंगे तथा इसका प्रमाण प्रपत्र संख्या 3 में भरकर रीट कार्यालय को अन्य प्रपत्रों के साथ भिजवाएंगे। इस समस्त कार्य की वीडियोग्राफी पेपर कॉर्डिनेटर के माध्यम से करवायी जाएगी। प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. बॉक्स परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पूर्व केन्द्र पर्यवेक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर एवं वीक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जिसका प्रमाणीकरण प्रपत्र 6A व 6B में लिया जाये तथा इसे रीट कार्यालय को भेजे जाने वाले प्रपत्रों के साथ भिजवाया जाए। केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक बॉक्स में से प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट के पैकेट सील्ड ही वीक्षकों को पहुचाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र पैकेट में 12 प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट के पैकेट में 12 OMR शीट्स (1 OMR शीट में 1 मूल प्रति व 1 अभ्यर्थी प्रति) होंगी। अतः कक्ष में बैठक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नामांक पर क्रमवार प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. वितरित की जाए।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

क्र.सं.	अधिकारीगण/ कार्मिकगण	प्रमुख दायित्व
		<ul style="list-style-type: none"> केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट के भीतर सुपरवाईजर/आन्तरिक फ्लाइंग के माध्यम से प्रत्येक कक्ष से अवितरित/अनुपस्थित परीक्षार्थियों की प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट अपने पास सुरक्षित मंगवाकर इन्हें संकलित कर लिफाफा संख्या C1 में रखकर भिजवाएंगे। कक्षवार प्रयुक्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं C2 लिफाफे में रखकर निर्देशानुसार भिजवाएंगे। केन्द्र पर प्रविष्ट/पंजीकृत परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक कक्षवार एकत्रित कर उन्हें नामांकवार जमा कर लिफाफा संख्या D में भिजवाएंगे। परीक्षा केन्द्र पर प्रयुक्त/भरे गये विभिन्न प्रपत्र पारीवार लिफाफा संख्या E में रखकर भिजवाएंगे। परीक्षा आयोजन सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं सूनिश्चित कर पूर्ण करना। परीक्षा कक्ष में वीक्षकों को नियुक्ति से पूर्व केन्द्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सभी वीक्षकों के नामों की लॉटरी निकालकर आधे घण्टे पूर्व ही परीक्षा कक्ष के बारे में वीक्षकों को सूचित करना। परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक/मत्रांलयिक कार्मिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों की नाम्स के अनुसार नियुक्ति व फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना। परीक्षा केन्द्र के भुगतान की व्यवस्था करना। लेखा शाखा के लिए प्रयोग आने वाले प्रपत्र लिफाफा संख्या—F में दोनों दिवस के एक साथ रखकर भिजवाएंगे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

4.

केन्द्र पर्यवेक्षक

- परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स के बॉक्स प्राप्त होने पर केन्द्र पर्यवेक्षक एवं केन्द्राधीक्षक बॉक्स पर अंकित केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पारी (Shift) से मिलान कर सुनिश्चित होवें कि प्राप्त बॉक्स उसके केन्द्र एवं परीक्षा पारी अनुसार है। केन्द्र पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त बॉक्स पूर्णतया सील्ड एवं लॉकड है। इसके पश्चात् उक्त बॉक्स को केन्द्राधीक्षक स्वयं की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखवाएंगे तथा इसका प्रमाण प्रपत्र संख्या 3 में भरकर रीट कार्यालय को अन्य प्रपत्रों के साथ भिजवाएंगे। इस समस्त कार्य की वीडियोग्राफी पेपर कॉर्डिनेटर के माध्यम से करवाएंगे।
- प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. बॉक्स परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पूर्व केन्द्र पर्यवेक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर एवं वीक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जिसका प्रमाणीकरण प्रपत्र संख्या 6A व 6B में लिया जाए तथा इसे रीट कार्यालय को भेजे जाने वाले प्रपत्रों के साथ भिजवाया जाए।
- केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक बॉक्स में से प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओएमआर शीट के पैकेट सील्ड ही वीक्षकों को संभलवाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र पैकेट में 12 प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट के पैकेट में 12 OMR शीट्स (1 OMR शीट में 1 मूल प्रति व 1 अभ्यर्थी प्रति) होगी। अतः कक्ष में बैठक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नामांक पर क्रमवार प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. वितरित की जाए।
- केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पश्चात् सुपरवाईजर/आन्तरिक फ्लाइंग के माध्यम से प्रत्येक कक्ष से अवितरित/अनुपस्थित परीक्षार्थियों की प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. शीट अपने पास सुरक्षित मंगवाकर इन्हें संकलित कर लिफाफा संख्या C1 में रखकर भिजवाएंगे।
- उपर्युक्त समस्त कार्य एवं गतिविधियों की पेपर कॉर्डिनेटर द्वारा स्पष्ट रूप से वीडियोग्राफी करवायी जाएगी।
- परीक्षा केन्द्र पर प्रयुक्त/भरे गये विभिन्न प्रपत्र पारीवार लिफाफा संख्या E में रखकर भिजवाएंगे।
- परीक्षा कक्ष में वीक्षकों को नियुक्ति से पूर्व केन्द्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सभी वीक्षकों के नामों की लॉटरी निकालकर आधे घण्टे पूर्व ही परीक्षा कक्ष के बारे में वीक्षकों को सूचित करना।
- परीक्षा केन्द्र पर सम्पूर्ण परीक्षा संचालन का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना तथा परीक्षा पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट जिला परीक्षा संचालन समिति को प्रस्तुत करना।
- परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी करवाना एवं CCTV से कवरेज हो रहा है, सुनिश्चित करना।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

5.

**पेपर
कॉर्डिनेटर**

- पेपर कॉर्डिनेटर दिनांक 27.02.2025 को प्रथम पारी में प्रातः प्रथम लेवल तथा द्वितीय पारी में दोपहर द्वितीय लेवल तथा दिनांक 28.02.2025 को तृतीय पारी में प्रातः द्वितीय लेवल के प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट बॉक्स कोषागार से प्राप्त कर सम्बन्धित केन्द्र पर बंद वाहन में सुरक्षा कर्मियों एवं वीडियोग्राफर के साथ परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को संभलवाएंगे। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए एक पेपर कॉर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा। पेपर कॉर्डिनेटर कोषागार से परीक्षा सामग्री लाने से केन्द्र तक पहुँचाने एवं परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र केन्द्राधीक्षक को संभलवाने, खोलने एवं वितरण करने की सम्पूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी करवाएंगे।
- केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक पारी के पश्चात् प्रश्न पत्र बॉक्स में C 1 व C 2 के लिफाफे रखने के बाद उसे ताला लगाकर बंद कर पेपर कॉर्डिनेटर को संभलवाया जावे। अर्थात् दिनांक 27.02.2025 को द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र लेकर आने के बाद प्रथम पारी के C 1 व C 2 के लिफाफे तथा दिनांक 27.02.2025 को द्वितीय पारी पश्चात् एवं 28.02.2025 को तृतीय पारी के पश्चात् C 1 व C 2 के लिफाफे पेपर कॉर्डिनेटर द्वारा यह बॉक्स संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाया जाएगा।

6.

**फ्लाइंग कम
ओ.एम.आर.
कॉर्डिनेटर**

- प्रत्येक तीन केन्द्रों के निरीक्षण हेतु एक फ्लाइंग कम ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर नियुक्त होंगे। इनके द्वारा आवंटित तीन केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया जाएगा तथा प्रत्येक पारी में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् इन तीन केन्द्रों से प्रयुक्त ओ.एम.आर. (लिफाफा सं. B), उपस्थिति पत्रक (लिफाफा सं. D), प्रपत्र-10, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (लिफाफा संख्या E,F), डूप्लीकेट प्रवेश पत्र एवं स्व प्रमाणित पहचान पत्र प्राप्त कर निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवायी जानी है। इनके साथ भी एक वीडियोग्राफर उपलब्ध करवाया जाना है।

7.

**फील्ड
सुपरवाईजर**

- परीक्षा केन्द्र पर आने वाले अधिकारियों/कार्मिकों को फोटो युक्त परिचय पत्र के आधार पर प्रवेश देना।
- आगन्तुक रजिस्टर संधारित करना। परीक्षा कक्ष के अलावा अन्य स्थानों की जांच करना तथा कैम्पस में परीक्षा संबंधी अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के 01 घण्टा पूर्व अर्थात् प्रथम पारी में प्रातः 09:00 बजे तथा द्वितीय पारी में अपराह्न 02:00 बजे परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बन्द करवाना।
- नोट** :— परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ताला नहीं लगाया जाना है, यहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हर वक्त मुस्तैद रहे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

8.	सुपरवाईजर कम आन्तरिक फ्लाइंग	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्येक 4 कक्ष पर सुपरवाईजर द्वारा वीक्षकों तक परीक्षा सामग्री पहुँचाना, परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा सामग्री एकत्र करना, वीक्षकों की सहायता करना। ● परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गहन जांच करना तथा प्रवेश-पत्र के आधार पर केवल परीक्षार्थी को ही प्रवेश देना। ● इनकी विशेष जिम्मेदारी होगी कि कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल / ब्ल्यूटूथ तथा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग परीक्षा केन्द्र में नहीं कर सके। परीक्षार्थियों की गहनता से लगातार जांच करना तथा नियम विरुद्ध कार्यवाही की रोकथाम करना।
9.	वीक्षक	<ul style="list-style-type: none"> ● वीक्षकों द्वारा परीक्षा कक्ष में प्रपत्र संख्या 17 में दी गई महत्वपूर्ण घोषणाएं परीक्षार्थियों के समक्ष करना। ● केन्द्राधीक्षक से उनके कक्ष में आवंटित छात्र संख्या अनुसार प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट के सील्ड पैकेट प्राप्त कर परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के समक्ष प्रदर्शित करना, जिससे परीक्षार्थी आश्वस्त हो सके कि प्रश्न पत्र का पैकेट सील्ड है। ● परीक्षा आरम्भ के 10 मिनट पूर्व 12 प्रश्न पत्र पुस्तिका के पैकेट को परीक्षार्थियों के समक्ष खोलना। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अन्दर रखी प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं जो पारदर्शी लिफाफे में पैक हैं, उसकी पैकिंग नहीं फटे। परीक्षार्थी को पारदर्शी लिफाफे में रखी प्रश्न पत्र पुस्तिका शील्ड ही देकर उसमें अंकित निर्देशों को पढ़ने के लिए सूचित करें। प्रश्न पत्र पुस्तिका पारदर्शी पैकेट परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आरंभ से 05 मिनट पूर्व ही खोला जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ● परीक्षा आरंभ के 10 मिनट पूर्व ओ.एम.आर. शीट के पैकेट को परीक्षार्थी के समक्ष खोलकर वितरित की जाए तथा उसमें अंकित सभी पृष्ठियों को ध्यान पूर्वक भरने के लिए निर्देशित करें। यदि किसी परीक्षार्थी को कटी/फटी ओएमआर शीट प्राप्त हो तो 5 मिनट के भीतर दूसरी ओ.एम.आर. शीट बदलवाने हेतु सूचित करें। 5 मिनट पश्चात् कटी-फटी ओ.एम.आर. शीट नहीं बदली जाए। ● परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. शीट में सभी प्रविष्टियां सही रूप से भरने के बाद वीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। ● यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. शीट खाली छोड़ी जाती है तो सम्बन्धित वीक्षक ओ.एम.आर. शीट पर इस तथ्य का स्पष्ट अंकन करेंगे। ● परीक्षा समाप्ति पर परीक्षार्थी को निर्देशित करें कि ओ.एम.आर. शीट के छिद्रित (Perforated) भाग को सावधानी पूर्वक फाड़कर ओ.एम.आर. की मूल प्रति अलग करें तथा मूल प्रति परीक्षार्थी से प्राप्त कर नामांकवार जमाकर लिफाफा संख्या A में रखकर केन्द्राधीक्षक को सम्भलवाएं। ओ.एम.आर. शीट की कार्बन प्रति को साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। ● प्रश्न पत्र पुस्तिका की प्रति परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाए। समस्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं क्रमवार कर इन्हें भी केन्द्राधीक्षक को सम्भलवाएं। ● परीक्षा कक्ष से परीक्षार्थियों की प्रवेश पत्र की प्रति एवं उसके साथ संलग्न पहचान पत्र प्रुफ को भी नामांकवार जमाकर केन्द्राधीक्षक को संभलवाएं। ● परीक्षा कक्ष से परीक्षार्थी के बाहर आने जाने का समय व हस्ताक्षर युक्त रिकार्ड रखना।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

परीक्षा समाप्ति पश्चात् ओ.एम.आर. शीट की प्राप्ति:— परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा केन्द्रों से ओ.एम.आर. शीट व अन्य सामग्री बिन्दु संख्या 6(य) के पैकेट संग्रहण हेतु जिला मुख्यालय पर एक सुरक्षित स्थान जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा। इस स्थान पर फ्लाइंग कम ओ.एम.आर कॉर्डिनेटर के माध्यम से संग्रहण केन्द्र प्रभारी उक्त सामग्री को प्राप्त करेगा।

प्रश्नों के बारे में प्राप्त शिकायतें:— प्रश्नों के सम्बन्ध में यदि कोई लिखित शिकायत हो तो केन्द्राधीक्षक उक्त शिकायत समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024 को अग्रेषित करे तथा उसी दिन रीट कार्यालय को ई—मेल rajbserreet2024@gmail.com पर मेल करें।

किसी भी आपातकालीन स्थिति में केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं केन्द्र पर्यवेक्षक जिला परीक्षा संचालन समिति के दिशा—निर्देशानुसार कार्यवाही कर लें। ऐसी कार्यवाही की सूचना अति. समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)—2024 को मो. 9982830200 पर दी जावे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

श्रुतलेखक के संबंध में आवश्यक निर्देश

1- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटिव डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता— Both Arms Disability) एवं सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी।

2- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ केन्द्राधीक्षक से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- “Person with benchmark disability” means a person with not less than forty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- “Person with disability” means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

3. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथा पि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती हैं।
4. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना—पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण—पत्र एवं वचनपत्र (Appendix-E) प्रस्तुत करना होगा।
5. विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा के अनुसार क्षतिपूरक समय दिया जाता है, तदनुसार इस परीक्षा में 50 मिनिट का क्षतिपूरक समय देय है।
6. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
7. दिव्यांग परीक्षार्थी की प्रार्थना पर परीक्षा केन्द्र स्तर पर श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं दो केन्द्राधीक्षकों की सदस्यता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया जावे। समिति द्वारा श्रुतलेखक प्रदान किये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाए।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

8. परीक्षार्थी द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था स्वयं के स्तर से भी की जा सकती है। जिसकी पात्रता की जांच के लिए दो दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एम.ओ. मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। श्रुतलेखक के लिए प्रमाण पत्र पर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है।

10. विशेष योग्यजन प्रमाण—पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो होना आवश्यक है।

11. स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिनसे शर्ते पूर्ण होती हों, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट होगी।

12. पोलियो/लकवा/जन्मजात दिव्यांगता तथा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है।

13. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी की **REET** पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम होनी आवश्यक है, जो लेवलवार निम्नानुसार रहेगी :—

लेवल—1 :— न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक से कम।

लेवल—2 :— न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक से कम।

14. श्रुतलेखक किसी भी आयु का हो सकता है।

15. श्रुतलेखक के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर रीट कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

16. रीट की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
17. केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक श्रुतलेखक का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप A,B,C,D,E' एवं चिकित्सा संबंधी प्रलेखों की प्रति संलग्न करते हुए बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जाए। (निर्धारित प्रारूप—23 में)
18. श्रुतलेखक को उसके कार्य के लिए मानदेय (बोर्ड परीक्षा की दरों के अनुसार राशि रूपये 100/-) रीट कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्राधीक्षक यह व्यय फुटकर व्यय में से करेंगे एवं इसे केन्द्र के बिल में दर्शाया जाएगा।
19. केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक् वीक्षक के वीक्षण में अलग कमरे में बैठाने की व्यवस्था स्थल मंजिल (Ground Floor) पर की जाए। वीक्षक को यह भी देखते रहना चाहिए कि श्रुतलेखक OMR Sheet में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में A,B,C,D,E में से उसी विकल्प के गोले को काला करता है जो कि परीक्षार्थी बोलता है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उसका आचरण किसी भी रूप में संदेहास्पद नहीं हो। श्रुतलेखक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित कार्यवाही करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा (यदि श्रुतलेखक परीक्षार्थी द्वारा लाया गया है), तथा उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, यह अभ्यर्थी को स्पष्ट कर दिया जाए।

निर्धारित प्रारूप A,B,C,D व E बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। आपेक्षित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से प्रमाण—पत्र प्राप्त करने पर ही उपर्युक्त सुविधा दी जा सकेगी। अतः कृपया सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपर्युक्तानुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सकें। चिकित्सालय की मात्र इलाज की पर्ची अथवा रुग्णता प्रमाण—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक नहीं दिया जाए।

उपर्युक्तानुसार न्यूनतम दिव्यांगता का प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये बिना इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। समस्त केन्द्राधीक्षक कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराएं।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम :—

- (अ) परीक्षा केन्द्र/कक्ष में मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, पहनकर नहीं आ सकेंगे तथा पर्स, हैण्डबैग अथवा डायरी इत्यादि अपने साथ नहीं ला सकेंगे। इन वस्तुओं को परीक्षार्थी को अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र की नहीं होगी। उपर्युक्त गैर कानूनी सामग्री परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास पाये जाने पर मामला अनुचित साधन (Unfair means) का मानते हुए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम—2022 के तहत कार्यवाही की जाएगी। परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र, काला/नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र (यथा आधार कार्ड) एवं इसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति साथ में आवश्यक रूप से लाएंगे।
- (ब) परीक्षार्थी की व्यक्तिगत तलाशी, परीक्षा भवन में प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा के दौरान कभी भी ली जा सकती है।
- (स) परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग, निर्देशों का उल्लंघन तथा दुराचरण (Misconduct) करने पर केन्द्राधीक्षक तथा केन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा तुरन्त उचित संयुक्त निर्णय कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अनुचित साधनों के प्रकरण समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024 को प्रपत्र संख्या—8 से अलग लिफाफे में भेजे जाएंगे। अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को दूसरी प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट नहीं दी जाए।
- (द) रीट परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने से रोकथाम करने वाले प्रावधानों को वर्णित करते हुए चेतावनी शीर्षक का पोस्टर परीक्षा केन्द्र पर लगाया जाए। (प्रपत्र 18 एवं 19)



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

संग्रहण केन्द्र की स्थापना एवं व्यवस्था :- जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जाएगी जिसके प्रभारी वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारी होंगे। जिले में केन्द्रों की संख्या एवं उनसे प्राप्त होने वाली ओ.एम.आर. एवं अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जावे तथा पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जावे। संग्रहण केन्द्र पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। संग्रहण केन्द्र पर चौबीस घंटे सुरक्षा गार्ड एवं सीसीटीवी द्वारा निगरानी हो, यह सुनिश्चित किया जावे। ओ.एम.आर. कॉर्डिनेटर द्वारा संग्रहण केन्द्र पर सामग्री जमा कराते समय उनके साथ उपलब्ध वीडियोग्राफर के माध्यम से वीडियोग्राफी भी करवायी जावे।

जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा उपयोग में ली गई ओएमआर (लिफाफा B), उपस्थिति पत्रक (लिफाफा D) व प्रपत्र 10 प्रतिदिन पूर्ण सुरक्षा के साथ रीट कार्यालय मे पहुँचाए जाएंगे।

प्रतिदिन संग्रहण केन्द्र बंद करते समय निर्दिष्ट दो अधिकारियों की उपस्थिति में दो ताले लगाकर सील किया जावे तथा दोनों तालों की चाबी दोनों अधिकारियों के पास पृथक् पृथक् रखी जावे। दूसरे दिन इन्हीं दो अधिकारियों के समक्ष ताले खोले जावे।



राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2024

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :—

जिले में केन्द्राधीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित किये जाने वाली बैठकों के साथ ही पेपर कोर्डिनेटर एवं फ्लाइंग कम ओ.एम.आर. कोर्डिनेटर का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाये।

दिनांक 27.02.2025 को प्रातः प्रथम पारी लेवल—1 एवं दोपहर द्वितीय पारी लेवल—2 तथा दिनांक 28.02.2025 प्रातः तृतीय पारी लेवल—2 की परीक्षा हेतु कोषागार के स्ट्रांग रूम से जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की आयोजनानुसार विभिन्न परीक्षा केन्द्रों को प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर. शीट्स का वितरण पेपर कॉर्डिनेटर द्वारा सशस्त्र पुलिस बल एवं वीडियोग्राफर के साथ बंद वाहन के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्न—पत्र अनिवार्य रूप से सभी केन्द्रों पर प्रथम पारी में प्रातः 9.00 बजे तक एवं द्वितीय पारी में दोपहर 02.00 बजे तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

सभी परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, वीक्षक एवं समस्त स्टॉफ राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों से अथवा समकक्ष अन्य अधिकारियों/कार्मिकों को जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी द्वारा ही रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया से नियुक्त किया जाएगा।

परीक्षा केन्द्र पर केवल केन्द्राधीक्षक ही की—पेड वाला मोबाइल रख सकेंगे। अन्य किसी भी कार्मिक/अधिकारी को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केन्द्र पर फोटो स्टेट, फैक्स, इन्टरनेट अथवा अन्य डुप्लिकेटिंग आदि की सुविधा है तो परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न—पत्र पहुंचने से एक दिन पूर्व ही केन्द्राधीक्षक की मौजूदगी में उक्त सभी सुविधाओं को अनिवार्य रूप से सील करवा दिया जाए तथा केन्द्र पर्यवेक्षक केन्द्र पर जाते ही इसे सुनिश्चित करें।

प्रथम पारी दिनांक 27.02.2025 सुबह प्रश्न पत्रों के बाक्स पर पीले रंग का लेबल होगा



द्वितीय पारी दिनांक 27.02.2025 सायं प्रश्न पत्रों के बाक्स पर हरे रंग का लेबल होगा



तृतीय पारी दिनांक 28.02.2025 सुबह प्रश्न पत्रों के बाक्स पर भूरे रंग का लेबल होगा



प्र.सं.-17

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)-2024

वीक्षकों द्वारा परीक्षा कक्ष में की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएं

1. परीक्षार्थी अपने केन्द्र के नाम व कोड संख्या का अपने प्रवेश पत्र से मिलान कर लें।
2. परीक्षार्थी सुनिश्चित कर लें कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे हैं।
3. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर.शीट में दिये गये समस्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।
4. प्रश्न पत्र पुस्तिका की पेपर सील प्रथम एवं तृतीय पारी में 09.55 A.M. तथा द्वितीय पारी में 02.55 P.M. पर परीक्षा प्रारम्भ होने की घट्टी लगाने पर ही खोलें।
5. छाउपूर्ण प्रश्न-पत्र पुस्तिका/ओ.एम.आर.शीट प्राप्त होने पर उसे 5 मिनट में ही बदलवा लें। इसके बाद ऐसी कोई प्रार्थना स्तीकार नहीं की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
6. परीक्षार्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि उसके पास परीक्षा से संबंधित कोई अनुचित सामग्री, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई भी प्रकार का आभूषण पहचान कर नहीं आये हैं तथा पर्स, फैल्डवैग अथवा डायरी इत्यादि अपने साथ नहीं लाये हैं। ऐसी सामग्री परीक्षा कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन अपनाने की कार्यवाही मानी जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा पारित भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
7. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके पास कोई मावक द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि नहीं हैं।
8. परीक्षार्थी को निर्देश देये कि प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट के पृष्ठ भाग पर मुद्रित निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

वीक्षकों के लिए निर्देश

1. वीक्षक को परीक्षा प्रारम्भ होने से डेढ़ घण्टे पूर्व केन्द्राधीक्षक को अपनी स्वपरिवर्ति देनी होगी।
2. प्रथम घण्टी (लम्बी घण्टी) बजने पर प्रथम एवं तृतीय पारी में प्रातः 09:00 बजे तथा द्वितीय पारी में दोपहर 02.00 बजे परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुचित प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र देखकर दें। प्रवेश पत्र के बिना परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाए।
3. यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी उसके निर्धारित स्थान पर ही बैठा है। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार घोषणाएं स्पष्टतः परीक्षार्थियों के समक्ष करें।
4. वीक्षक परीक्षा कक्ष में प्रश्नपत्र पुस्तिका का सीलड पैकेट (जिसमें 12 प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ रखी हैं) एवं OMR शीट का पैकेट (जिसमें 24 OMR शीट्स रखी हैं) केन्द्राधीक्षक से प्राप्त करेंगे एवं प्रपत्र संख्या 6 B में इसका प्रमाणीकरण देंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट का पैकेट कक्ष में परीक्षार्थियों के सामने खोलेंगे। (12 प्रश्नपत्र पुस्तिका के पैकेट को खोलने के बाद उसमें पारदर्शी पॉली पैक में रखी प्रश्न पत्र पुस्तिका परीक्षार्थी को ही जायेगी वीक्षक द्वारा इस पारदर्शी पॉली पैक को नहीं खोला जायेगा। यह पॉली पैक परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ के समय खोली जायेगी) यह पारदर्शी पैकेट परीक्षार्थी को कमानुसार वितरित करें एवं परीक्षार्थी को इसमें अंकित निर्देशों को पढ़ने के लिये OMR शीट्स का लिफाफा/पैकेट वीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष में सभी परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा तथा OMR शीट्स कमानुसार परीक्षार्थी को वितरित की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र, काला/नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र एवं इसकी स्वरप्राप्ति भाग्य प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री यथा मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, थैन, अंगूठी, नैकालेस, कान के टॉप्स, लॉकेट, पर्स, फैल्डवैग अथवा डायरी इत्यादि वर्जित कोई अन्य सामग्री न हो। ऐसी सामग्री परीक्षा कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन अपनाने की कार्यवाही मानी जायेगी तथा अन्य परीक्षार्थी में अनुचित साधन की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही की जायेगी, और परीक्षार्थी परीक्षा सामाप्ति तक कक्ष में बैठा रहेगा। उसे जाने नहीं दिया जायेगा।
6. वृत्तरी घण्टी (एक घण्टी) लगने पर प्रथम एवं तृतीय पारी में प्रातः 9:50 बजे तथा द्वितीय पारी 2.50 बजे प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट एक साथ कमानुसार वितरित करनी होगी। यदि कोई परीक्षार्थी अनुपरिधत है, तो उसकी ऊस्क पर भी इन दोनों को रखना है। लैकेट परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के भीतर अनुपरिधत रहने वाले परीक्षार्थियों की प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं OMR Sheet उठा लें। OMR Sheets पर वीक्षक अपने हाथ से रोल नम्बर लिखकर विनिष्ट (x) करके ABSENT अंकित कर अपने हस्ताक्षर करें। इन्हें ‘अनुपरिधत’ ओ.एम.आर.शीट्स में लिना जायेगा। इन्हें केन्द्राधीक्षक को रखें।
7. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा OMR Sheet खाली छोड़ी जाती है तो वीक्षक OMR Sheet पर इस तथ्य का स्पष्ट अंकन करें।
8. प्रवेश पत्र एवं उपरिधत पत्रक पर लगी फोटो का परीक्षार्थी के बैहके से गिलान करने के पश्चात् उपरिधत पत्रक पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवा ले। उपरिधत पत्रक के एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक परीक्षार्थियों के सामान नाम मुद्रित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र से माता, पिता के नाम का गिलान कर ही सही उपरिधत वर्ज कराएं। अनुपरिधत परीक्षार्थी के उपरिधत पत्रक पर बड़े अक्षरों में ABSENT अंकित करें तथा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।

कृ.पृ.उ.